

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक-रा0आ0आ0 (वाद) 06/2020-599

राँची, दिनांक- 30.9.2020

कोर्ट नोटिस

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

विषय:- ग्राम-गुरदी, पंचायत-कबल, प्रखण्ड-छत्तरपुर, जिला-पलामू के श्रीमती सरोज देवी व अन्य कुल 117 कार्डधारियों के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयांकित वाद में आयोग के ज्ञापांक-520 दि0-10.09.2020 द्वारा दि0-25.09.2020 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु आपको कोर्ट नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त के आलोक में आपके पत्रांक-1494 दि0-25.09.2020 द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से आप उक्त सुनवाई में अनुपस्थित रहे। दि0-25.09.2020 को सुनवाई के दौरान दिये गये आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वाद की अगली सुनवाई दि0-07.10.2020 को निर्धारित की गई है।

अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त निर्धारित सुनवाई में दिनांक-07.10.2020 को 2.00 बजे अपराहन में आप स्वयं आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अनु0 यथोक्त।

विमवासभोजन

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 06/2020-599

राँची, दिनांक- 30.9.2020

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी छत्तरपुर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक:- रा0आ0आ0 (वाद) 06/2020-599

राँची, दिनांक- 30.9.2020

प्रतिलिपि:- श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए रामलाल बैठा, श्रीमती सरोज देवी व अन्य कुल 117 कार्डधारियों तथा मुखिया, कबल पंचायत, ग्राम-गुरदी, पंचायत-कबल, प्रखण्ड-छत्तरपुर, जिला-पलामू के मामले में सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें एवं यह स्पष्ट कर दें कि ग्रामीणों को सुनवाई की तिथि में किस प्रज्ञा केन्द्र में उपस्थित होना है। अधोहस्ताक्षरी को कृपया कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(नरेश प्रसाद केवट)

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

O/C